FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB HISAR **Year (वर्ष):** 2018

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0024 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 27/11/2018 14:20 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/03/2017 **Date To (दिनांक तक):** 07/04/2017

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 10:00 hrs **Time To (समय तक):** 10:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/11/2018 **Time (समय):** 13:00 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 008 **Date and Time (दिनांक और समय):** 27/11/2018 13:24 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 50 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): BHIWANI,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6.

Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): RAVI SHANKAR

(b) Father's Name (पिताका नाम): SURENDER SHARMA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	BAPODA, BHIWANI, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	BAPODA, BHIWANI, HARYANA, INDIA

(j)

Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	RAJBIR KAUSHIK			1. RETD SE PHED BWN,BHIWANI,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान् जी, जांच क्रमांक 5 दिनांक 29.09.2017 भिवानी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 25/ 18/ 17 - 4 चैकसी (प्) दि0 14.09.2017 की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर होकर महानिदेशक रा0चै0ब्यूरो पंचकुला के पृ0 क्र0 न0 12252 / आई-3 /रा0चै0ब्यूरो (ह0) दि0 03.10.2017 अनुसार इस मण्डल में जांच हेतू प्राप्त हुई थी यह जांच परिवादी रवि शकंर ठेकेदार पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा निवासी गांव बापोड़ा तहसील व जिला भिवानी की शिकायत के आधार पर दर्ज रजि0 की गई थी जिसमें आरोप था कि परिवादी ने गांव नीमडी जिला भिवानी में वर्ष 2013 में जनस्वास्थ्य विभाग की मार्फत पानी का टैंक बनवाने का कार्य लिया था। यह कार्य उसने पूरा कर दिया था। विभाग के एस0डी0ओ0 व एक्सियन ने भी यह लिख कर दे दिया कि टैंक बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। इस कार्य में देरी होने के कारण उसे क्लाज-2 लगा कर जल्दी कार्य पूरा करने को कहा गया था और उसने कार्य पूरा कर दिया था। परिवादी ने तत्कालीन अधीक्षक अभियन्ता जनस्वास्थ्य विभाग भिवानी के पास ता0 लेकर क्लाज -2 हटाने का अनुरोघ किया तो राजबीर कौशिक अघीक्षक अभियन्ता ने क्लाज -2 हटाने की एवज में 45000/रू रिश्वत की मांग की। परिवादी ने प्रतिवादी राजबीर कौशिक अधीक्षक अभियन्ता के बार - बार दबाव बनाने पर उसे 20,000/रू रिश्वत के दे दिये जिसकी परिवादी ने विडियोग्राफी भी तैयार कर ली मगर फिर भी प्रतिवादी ने परिवादी पर लगी क्लाॅज - 2 नहीं हटाई तथा 20000/रू और रिश्वत की मांग करता रहा। इन तथ्यो की जांच निरीक्षक श्रीराम , निरीक्षक मस्ताना तथा निरीक्षक मुकेश कुमार उप केन्द्र भिवानी द्वारा की गई जिनकी जांच मे श्री राजबीर कौशिक तत्कालीन अधीक्षक अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य विभाग भिवानी, हाल सेवा - निवृत द्वारा एक लोक सेवक होते हुये शिकायतकर्ता से उसके सरकारी कार्य के बदले 20,000/रू की रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर उसके विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोघक अधिनियम 1988 की धारा 7 व 13 के तहत अभियोग अंकित किया जाने का सूझाव सहित जांच रिपोर्ट तैयार करके पुलिस अधीक्षक, राज्य चैकसी ब्यूरो हिसार मण्डल हिसार के माध्यम से महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला को भेजी गई। जिसके उपरान्त महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला ने पत्र क्रमांक 12811 /रा0 चै0 ब्यु0 (ह0) दिनांक 11.09.2018 द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चैकसी विभाग चण्डीगढ को अपनी टिप्पणी सहित यह जांच रिर्पोट भेजी गई जो इस प्रकार हैः- जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कथनो प्रलेखो अंतिम रिर्पोट से पाया गया है कि शिकायतकर्ता रवि शकंर प्रोपराईटर दी गणपति देवा कोपरेटिव स्-ब् सोसाईटी बापोडा द्वारा ईकरारनामा नं0 81/2013-14 अनुसार जलघर स्कीम, निमडी जिला भिवानी में पानी का टैंक बनाने सम्बधिंत कार्य आंबटित किया जाना पाया गया है। दी गणपति देवा कापरेटिव स्-ब् सोसाईटी, बापोडा द्वारा पानी का स्तर उपर होने के कारण समय पर कार्य पूरा ना करने के कारण कार्यकारी अभियन्ता जनस्वास्थय विभाग मण्डल न0 1 भिवानी द्वारा फर्म को ईकरारनामा की शर्तों के मुताबिक क्लाज -।। लगाई जानी पाई गई है जिस बारे फर्म द्वारा क्लाज -।। की सुनवाई हेतू अधीक्षक अभियन्ता को वर्ष 2014 में जुर्माना लगाने के उपरान्त ही प्रार्थना पत्र दे दिया गया था जिस पर अधीक्षक अभियन्ता जनस्वास्थय विभाग भिवानी द्वारा वर्ष 2016 तक कोई फैसला नही लिया गया था तथा फर्म द्वारा कार्य पूरा किये जाने उपरान्त उपरोक्त कार्य के बिल बनाते समय विभाग द्वारा फर्म से वर्ष 2016 में 415663 रू0 पैनल्टी रिकवरी कर ली जानी पाई गई है। फर्म द्वारा कार्य पूरा किये जाने उपरान्त उप-मण्डल अभियन्ता व कार्यकारी अभियन्ता श्री विशाल बसंल, जनस्वास्थय अभियात्रिंकी मडंल न0 1 भिवानी द्वारा फर्म के हक में पैनल्टी माफी के लिए अधीक्षक अभियंन्ता को पत्र द्वारा न0 2881 दिनांक 01.03.2017 को लिखा जाना पाया गया है। क्लाज -।। के अनुसार जुर्माना माफ या कम करने की पूर्ण शक्तियां ईकरारनामा की शर्तों अनुसार अधीक्षक अभियन्ता के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन श्री राजबीर कौशिक, अधीक्षक अभियन्ता (अब सेवानिवृत) के कार्यालय आदेश दिनांक 07.04.2017 से पैनल्टी कन्फर्म कर दी जानी पाई गई जो कि विभागिय नियमों अनुसार क्लाज -।। कम करने की पूर्ण शक्तियां अधीक्षक अभियन्ता के अधिकार क्षेत्र में आती है। लेकिन इस सम्बध शिकायतकर्ता रवि शकंर पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा निवासी गांव बापोडा तहसील व जिला भिवानी, प्रो0 दी गणपति देवा कोपरेटिव स्-ब् सोसाईटी, बापोडा ने अपने विरूद्व लगी क्लाज -।। हटवाने बारे फर्म द्वारा प्रार्थना पत्र क्लाॅज -।। की सुनवाई हेतू अधीक्षक अभियन्ता को 2014 में पैनल्टी लगाने के उपरान्त ही दे दिया जाना पाया गया है जिस पर अधीक्षक अभियन्ता जनस्वास्थय विभाग भिवानी द्वारा फर्म द्वारा कार्य पुरा होने उपरान्त भी कोई फैसला

नही लिया जाना पाया गया है जिससे उक्त कार्य लम्बे समय तक लम्बित रखा जाना भी श्री राजबीर कौशिक, अधीक्षक अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य विभाग भिवानी (सेवानिवृत) को सन्देह के घेरे लाता है। श्री राजबीर कौशिक, अधीक्षक अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य विभाग भिवानी (अब सेवानिवृत) द्वारा फर्म पर लगाई गई क्लाज -II को कन्फर्म करने से पहले की दिनांक 04.03.2017 को रिश्वत लेने के सम्बध में शिकायतकर्ता रवि शकंर पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा निवासी गांव बापोडा तहसील व जिला भिवानी द्वारा पड़ताल के दौरान एक सी0डी0 पेश कि गई शिकायत के साथ सलंग्न सी0डी0 का चलाये जाने पर पाया गया है कि इस विडियो क्लीप/सी0डी0 में श्री राजबीर कौशिक, अधीक्षक अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य विभाग भिवानी (अब सेवानिवृत) तो दिखाई दे रहे है लेकिन दुसरा व्यक्ति साफ दिखाई नही दे रहा जिसकी आवाज से लगता है कि वह दुसरा व्यक्ति शिकायकर्ता रवि शकंर हो सकता जिस द्वारा यह विडियो क्लीप बनाई गई हो तथा विडियो क्लीप में दिखाई दे रहा है कि दोनों लान के अन्दर बैठे हैं। विडियो क्लीप के आखिर मे श्री राजबीर कौशिक, अधीक्षक अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य विभाग भिवानी, हाल सेवानिवृत व एक अन्य व्यक्ति जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा जो दोनों एक टेबल के आमने-सामने बैठे हुये दिखाई दे रहे है ओर वह दुसरा व्यक्ति कुछ पैसे उस टेबल पर रखता नजर आ रहा है और श्री राजबीर कौशिक, अधीक्षक अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य, विभाग भिवानी (हाल सेवानिवृत) उन पैसों को उसी टेबल पर पडे अखबार के निचे रखता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ समय बाद श्री राजबीर कौशिक, अधीक्षक अभियन्ता, सेवानिवृत जन-स्वास्थ्य, विभाग भिवानी उन पैसों को उठाकर अपनी पहनी हुई पैन्ट की पीछे वाली जेब में डालता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः शिकायत के साथ सलंग्न विडियो क्लीप से स्पष्ट है कि राजबीर कौशिक, एस0ई0, जन-स्वास्थ्य विभाग, भिवानी (हाल सेवानिवृत) ने शिकायतकर्ता द्वारा दिये पैसे लिये है। जो कि इस सम्बध में प्रमुख अभियन्ता, प्रोग्राम, जन अभियान्त्रिक विभाग, पचंकूला द्वारा भी अपनी जाचँ रिर्पोट दिनांक 26.5.2017 में शिकायत के साथ सलग्ंन विडियो क्लीप की पुष्टि की जानी पाई गई है। शिकायत फाईल के साथ सलग्ंन सी0डी0 व शिकायकर्ता रवि शकरं पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा निवासी गांव बापोडा तहसील व जिला भिवानी प्रो0 दी गणपति देवा कोपरेटिव स्-ब् सोसाईटी, बापोडा द्वारा पड़ताल के दौरान पेश की गई सी0डी0 से श्री राजबीर कौशिक अधीक्षक अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य विभाग भिवानी (हाल सेवानिवृत) के खिलाफ परिवादी द्वारा लगाये गये रिश्वत लेने के आरोपों की पुष्टि होती है। इसलिए प्रतिवादी श्री राजबीर कौशिक, तत्कालीन अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य विभाग, भिवानी (हाल सेवा निवृत) द्वारा एक लोक सेवक होते हुये शिकायतकर्ता से उसके सरकारी कार्य के बदले 20,000/रू की रिश्वत लेने के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोघक अधिनियम, 1988 की धारा 7 व 13 के तहत अभियोग अंकित किया जाने का सूझाव दिया जाता है इसके अतिरिक्त श्री अनिल कुमार श्योराण द्वारा दिनाकं 11.08.2017 को ईमेल के माध्यम से एक शिकायत जन-स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध रिश्वत मांगने बारे दी गई है जिसमें श्री राजबीर कौशिक, तत्कालीन अधीक्षक अभियन्ता, द्वारा रिश्वत मांगने का आरोप है इसलिए इस शिकायत में वर्णित तथ्यों को अभियोग की तफतीस में देख लेने का सुझाव दिया जाता है। तदोपरान्त जाॅच मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चैकसी विभाग चण्डीगढ ने यादि क्रमांक 25/18/17 -4 चै0 प्द्ध दिनांक 29.10.2018 द्वारा सूचित किया गया की जांच रिर्पोट के प्ररीक्षणोपरान्त यह विभाग महानिदेशक रा0 चै0 ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के सुझाव से सहमत है अतः महानिदेशक राज्य चैकसी ब्युरो (ह0), पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 15575/1-3/रा0 चै0 ब्युरो (ह0) दिनांक 31.10.2018 की अनुपालना में उक्त श्री राजबीर कौशिक अधीक्षक अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य विभाग, भिवानी (हाल सेवानिवृत) द्वारा क्लाज -II हटाने के लिए 04.03.2017 को शिकायतकर्ता रवि शकर से 20000/रूपये रिश्वत की राशि लेने के कारण तथा बकाया रिश्वत राशि न मिलने पर 07.04.2017 को पैन्लटी क्लाॅज कन्फर्म कर दिया जबकि शिकायतकर्ता 30.03.2017 को रिश्वत की शिकायत पुलिस अधीक्षक राज्य चैकसी ब्युरो हिसार को दे चुका था अतः श्री राजबीर कौशिक के खिलाफ मुकदमां जेर घारा 7, 13, एक्ट नं0 49 सन 1988 के तहत अंकित करके मिशल मुकदमा हजा मय आमदा रिकार्ड व कुल पांच फाईलें जांच क्रमांक नं0 5 दिनांक 29.09.2017 भिवानी से सम्बन्धित बराये तफतीश निजद सुभाष चन्द्र ह0पु0से0उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चैकसी ब्युरो (ह)के पास भेजी जा रही हैं नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट बजरिया ईमेल ईलाका मजिस्टे्ट साहब व पुलिस अधीक्षक भिवानी भेजी जा रही है तथा प्रथम सूचना रिर्पोट अन्य सम्बन्धित अफसरान बाला को बजरिया डाक भेजी जायेगी ।

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

13. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): Subhash Chander (Dy. SP (Deputy Superintendant of Police))/H58 **or (या)**

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद):

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Subhash Chander

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): H/14

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1961				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)